

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 38]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 24, 2014/माघ 4, 1935

No. 38]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 24, 2014/MAGHA 4, 1935

जल संसाधन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2013

सा.का.नि. 55 (अ).—केन्द्रीय सरकार ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम, 1980 (46 का 1980) की धारा की 28 उप-धारा)2(ख) के खंड (, खंड) और खंड (घ)डियों का प्रयोग करते हुए शक्तिद्वारा प्रदत्त (, जल संसाधन मंत्रालय, ब्रह्मपुत्र बोर्ड में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और वित्त सलाहकार के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—**1 नाम जल संसाधन मंत्रालयइन नियमों का संक्षिप्त (, ब्रह्मपुत्र बोर्ड अध्यक्ष), उपाध्यक्ष और वित्त सलाहकार समूह ('क' पद भर्ती नियम, है। 2013) 2(ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **लागू होना :—**ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ)1 पदों पर लागू होंगे।में विनिर्दिष्ट (
3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान :**—उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ)2) म्भसे स्त (4 (हैं।में विनिर्दिष्ट
4. **भर्ती की पद्धति, आयु अर्हताएंसीमा और अन्य-, आदि :**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वह होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ)5) म्भसे स्त (13 हैं।में विनिर्दिष्ट (

5. **निरहता :—**वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है; विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति :—**जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।7. **व्यावृत्ति :—**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु रियायतों पर प्रभाव नहसीमा में छूट और अन्य-ीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समयसमय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित - जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।**अनुसूची**

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा-	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. अध्यक्ष	*1)2013(कार्यभार के * आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'क' अननुसचिवीय	एच. ए. जी. 67,000-79000 रु.	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी ति द्वारा या प्रोन्न / या प्रतिनियुक्ति आमेलन द्वारा तथा पद्धतियों विभिन्न द्वारा भरी जाने यों की वाली रिक्ति प्रतिशतता	प्रोन्नति रण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां अन्त / प्रतिनियुक्ति / तिजिनसे प्रोन्नियुक्ति रण किया जाएगा। अन्त/	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(10)	)11(	)12(	)13 (
प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत) कालिक अल्प (संविदा भी है जिसके न हो सकने पर सेवानिवृत्त अधिकारियों की संविदा पर द्वारा नियुक्ति	प्रतिनियुक्ति (कालिक संविदा भी है जिसके अंतर्गत अल्प) : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या लोक क्षेत्र के उपक्रमों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या कानूनी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी : (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में तीन वर्ष की नियमित सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जो वेतन बैंड 37 वेतनमान 4 -,400-67, 000रु. + 10 ग्रेड वेतन, इंजीनियर का पद धारण रुपये में मुख्य 000	1. सदस्य, योजना आयोग जल) (संसाधन - अध्यक्ष 2. सचिव, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग -सदस्य 3. सचिव,	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

	किए हैं; और (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखते हैं : आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरी में डिग्री; और (ii) अनुसंधान, योजना बनाने, डिजाइन, निष्पादन, जल संसाधन की विकास परियोजनाओं के अनुरक्षण के क्षेत्र में दस वर्ष का अनुभव; या (iii) मास्टर प्लान, बाढ़ प्रबंध की व्यापक परियोजना, नदी प्रशिक्षण कार्य की तैयारी और साधारण प्रशासन में दस वर्ष का अनुभव; या (ग) अखिल भारतीय सेवा के ऐसे अधिकारी जो वेतन बैंड -4, वेतनमान 37,400-67, 000रु.10 ग्रेड वेतन + , 000रु. में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के जल संसाधन विभाग में तीन वर्ष कार्य करने का अनुभव रखते हैं। टिप्पण :1 – प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण :2 – प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को वर्ष से अधिक नहीं 58 होगी। संविदा पर नियुक्ति या वेतन इंजीनियर के रूप में सेवानिवृत्तमुख्य : 4 – बैंड, वेतनमान 37,400-67, 000रु.10 ग्रेड वेतन + , 000रुमें . सदृश पद धारण किए हुए अधिकारियों जिनकी उस श्रेणी में कम से कम तीन वर्ष की नियमित सेवा है और प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत) के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और (कालिक संविदा भी हैअल्प अनुभव रखते हैं या अखिल भारतीय सेवा के ऐसे अधिकारी जो वेतन 4 – बैंड, वेतनमान 37,000-67, 000रु.10 ग्रेड वेतन + , 000रु. में केन्द्रीय या राज्य सरकार के जल संसाधन विभाग में तीन वर्ष कार्य करने का अनुभव रखते हैं। टिप्पण वर्ष की 62 संविदा की अवधि दो वर्ष या अधिकारी जब - : कर लेता है की होगीआयु प्राप्त, जो भी पहले हो।	जल संसाधन मंत्रालय –सदस्य	
--	--	---------------------------	--

)1(	)2(	)3(	)4(	)5(	)6(	)7(	)8(	)9(
2. उपाध्यक्ष	*1 2013(कार्यभार के * आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'क' अनुसचिवीय	वेतन बैंड 4- रुपये 37,400-67, 000+ ग्रेड वेतन 10, 000रु.	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(10)	)11(	)12(	)13 (
प्रतिनियुक्ति जिसके) कालिक अंतर्गत अल्प द्वारा (संविदा भी है जिसके न हो सकने पर अधिकारी सेवानिवृत्त की संविदा पर द्वारा नियुक्ति	प्रतिनियुक्ति (कालिक संविदा भी हैजिसके अंतर्गत अल्प) : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या लोक क्षेत्र के उपक्रमों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या कानूनी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी : (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में एक वर्ष की नियमित सेवा रखते हुए सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जो वेतन बैंड 37 वेतनमान 4 -,400-67, + रु 000 ग्रेड वेतन 10, इंजीनियर का पद धारण किए हैंमें मुख्य 000;	1. सदस्य, योजना आयोग (जल संसाधन) – अध्यक्ष 2. सचिव, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग – सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

	और (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखते हैं : आवश्यक : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरी में डिग्री; और (ii) अनुसंधान, योजना बनाने, डिजाइन, निष्पादन, जल संसाधन की विकास परियोजनाओं के अनुरक्षण के क्षेत्र में आठ वर्ष का अनुभव; या (iii) मास्टर प्लान, बाढ़ प्रबंध की व्यापक योजना, नदी प्रशिक्षण कार्य की तैयारी और साधारण प्रशासन में आठ वर्ष का अनुभव; या (ग) अखिल भारतीय सेवा के ऐसे अधिकारी जो वेतन बैंड - 4 वेतनमान 37,400-67, 000 रु. 10 ग्रेड वेतन + , 000 य सरकार या राज्यरूपये में ऐसे अधिकारी जो केन्द्रीय सरकार के जल संसाधन विभाग में एक वर्ष कार्य करने का अनुभव रखते हैं। टिप्पण 1:—प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2 :—प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को वर्ष से अधिक नहीं होगी। 58 संविदा पर नियुक्ति या वेतन इंजीनियर के रूप में सेवानिवृत्तमुख्य : बैंड 37 वेतनमान 4 - ,400—67, 000 रु. 10 ग्रेड वेतन + , 000 रु. में . सदृश पद धारण किए हुए अधिकारियों जिनकी उस श्रेणी में कम से कम जिसके अंतर्गत) एक वर्ष की नियमित सेवा है और प्रतिनियुक्ति के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव (कालिक संविदा भी है अल्प 4 - रखते हैं या अखिल भारतीय सेवा के ऐसे अधिकारी जो वेतन बैंड, वेतनमान 37,400—67, 000 रु. 10 ग्रेड वेतन + , 000 रु. में केन्द्रीय या राज्य सरकार के जल संसाधन विभाग में एक वर्ष कार्य करने का अनुभव रखते हैं। टिप्पण :—संविदा की अवधि दो वर्ष या जब अधिकारी वर्ष की आयु 62 कर लेता है की होगी प्राप्त, जो भी पहले हो।	3. सचिव, जल संसाधन मंत्रालय — सदस्य	
--	--	--	--

) 1(	)2(	)3(	)4(	)5(	)6(	)7(	)8(	)9(
3. वित्त सलाहकार	*1)2013(कार्यभार के * आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'क' अननुसचिवीय	वेतन बैंड 4— रुपये 37,400- 67, 000+ ग्रेड वेतन 10, रु 000	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

)10 (	)11(	)12(	)13 (
प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत) कालिक अल्प द्वारा (संविदा भी है जिसके न हो सकने	प्रतिनियुक्ति (कालिक संविदा भी है जिसके अंतर्गत अल्प) : (क) (i) भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवा, भारतीय रक्षा लेखा सेवा, भारतीय रेल लेखा सेवा, भारतीय डाक और तार और भारतीय सिविल लेखा (और लेखा सेवावित्त)	1. सदस्य, योजना आयोग (जल संसाधन) - अध्यक्ष 2. सचिव, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग -सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

पर सेवानिवृत्त अधिकारी की संविदा पर नियुक्ति द्वारा	सेवा के ऐसे अधिकारी जो वेतन बैंड 4 -+ ग्रेड वेतन 8700रु. श्रेणी में तीन वर्ष की सेवा रखते हुए पद धारण किए हुए हैं; या (ii) ऐसे अर्हता प्राप्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट या लागत लेखाकार या वित्त में विशेषज्ञता के साथ एम .ए.बी. य या राज्य सरकार या केन्द्रीय या राज्यजो केन्द्री सरकारों के अधीन लोक क्षेत्र के उपक्रमों या कानूनी या संगठनों में कारपोरेट लेखा और कारपोरेटयत्तस्वा वित्त के हैंडलिंग का सोलह वर्ष का अनुभव रखते हैं; या (ख) केन्द्रीय या राज्य सरकारों के विभागों में वित्तीय मामलों की हैंडलिंग का अनुभव रखने वाले अखिल भारतीय सेवा के ऐसे अधिकारी जिनकी रुपये ग्रेड वेतन श्रेणी में तीन 8700 वर्ष की नियमित सेवा है। टिप्पण : 1 – प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण : 2 – प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को वर्ष से अधिक नहीं होगी। 58 संविदा पर नियुक्ति वेतनमान 4 – ऐसे अधिकारी जो वेतन बैंड : 37,400-67,10 ग्रेड वेतन + रु 000,की नियमित सेवा से .रु 000 हैसेवानिवृत्तं और प्रतिनियुक्ति कालिक संविदा जिसके अंतर्गत अल्प) य या के लिए यथा अपेक्षित वांछनीय अर्हताएं रखते हैं और केन्द्री (भी है सरकारों के अधीन लोक क्षेत्र के य या राज्य सरकार या केन्द्रीराज्य मामलों के हैं निकायों में वित्तयत्तउपक्रमों या कानूनी या स्वाडलिंग का अनुभव रखते हैं। टिप्पण - : संविदा की अवधि दो वर्ष या जब अधिकारी वर्ष की आयु 62 कर लेता है की होगीप्राप्त, जो भी पहले हो।	3. सचिव, जल संसाधन मंत्रालय –सदस्य	
--	--	---	--

[फा.सं. 2/16/2010-ई.-III (बीबीई)]

अशोक कौशिक, अवर सचिव

MINISTRY OF WATER RESOURCES

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2013

G.S.R. 55(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (b),(d) and (e) of sub-section (2) of Section 28 of the Brahmaputra Board Act, 1980 (46 of 1980), the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Chairman, Vice-Chairman and Financial Adviser, Brahmaputra Board, namely :-

1. **Short title and commencement. -**

(i) These rules may be called the Ministry of Water Resources, Brahmaputra Board (Chairman, Vice-Chairman and Financial Adviser) Group 'A' Posts Recruitment Rules, 2013.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application. -** These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.3. **Number of posts, classification and pay band and grade pay or pay scale -** The number of the said posts, their classification, the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.** - The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. **Disqualification - No person ;**

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories or persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Chairman	1* (2013) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'A', Non-Ministerial.	HAG Rs. 67000 - 79000/-	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances under which consultation with Union Public Service Commission is necessary
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Not applicable	By deputation (including short term contract) failing which by contract appointment of retired officers	Deputation (including short term contract): Officers under the Central Government or State Government or public sector undertakings or recognized Research Institutions or statutory organizations:- (A)(i) holding an analogous post with three years regular service in the grade in the parent cadre or department; or (ii) holding the post of Chief Engineer in the Pay band-4 with pay scale of Rs. 37,400 – 67,000 plus grade pay of Rs. 10,000; and (B) possessing the following educational qualifications and experience:	1. Member, Planning Commission (Water Resources) –Chairman 2. Secretary, Department of Personnel and Training – Member 3. Secretary, Ministry	Consultation with the Union Public Service Commission not necessary

			Essential (i) Degree in Civil Engineering from a recognized University; and (ii) ten years experience in the field of Investigation, Planning, Design, Execution, Operation and Maintenance of Water Resources Development Projects; or (iii) Ten years experience in the preparation of Master Plans, Comprehensive Plans for Flood Management, River Training Works and General Administration; or (C) All India Service officers holding the post in the Pay Band-4 with pay scale of Rs. 37,400 – 67,000 plus Grade Pay – Rs. 10,000 in Central Government or State Government with three years experience of working in Water Resources Department. Note 1.- The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization or Department of the Central Government or State Governments shall not exceed five years. Note 2.- The maximum age limit for appointment by deputation or short term contract appointment shall not be exceeding fifty eight years as on the closing date of receipt of applications. Contract Appointment: Officers retired as Chief Engineer or held analogous post in the Pay Band-4 with pay scale of Rs. 37,400 – 67,000 plus Grade Pay of Rs.10000 with at least three years of regular service in that grade and possessing the educational qualifications and experience prescribed for deputation (including short term contract) or retired All India Service Officers who were holding the post in the Pay band-4 with pay scale of Rs. 37,400 – 67,000 plus grade pay of Rs. 10,000 in Central Government or State Governments with three years experience of working in Water Resources Department. Note.- Maximum period of contract shall not exceed two years or till the retired officer attains the age of sixty two years, whichever is earlier.	of Water Resources – Member	
--	--	--	--	-----------------------------	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Vice-Chairman	.1* (2013) *Subject to variation dependent on work-load	Group 'A', non-Ministerial	Pay band-4 – Rs. 37,400 – 67,000 with grade pay of Rs. 10000	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Not applicable	By deputation	Deputation (including short term contract) : Officers under the Central Government or State	1.Member, Planning	Consultation with

		(including short term contract) failing which by contract appointment of retired officers	Government or public sector undertakings or recognized research institutions or statutory organizations. - (A)(i) holding an analogous post with one year regular service in the grade in the parent cadre or department; or (ii) holding the post of Chief Engineer in the Pay band-4 with pay scale of Rs. 37,400 – 67,000 plus grade pay of Rs.10,000; and (B) possessing the following educational qualifications and experience : Essential : (i) degree in Civil Engineering from a recognized University; and (ii) eight years experience in the field of Investigation, Planning, Design, Execution, Operation and Maintenance of Water Resources Development Projects; or (iii) eight years experience in the preparation of Master Plans, Comprehensive Plans for Flood Management, River Training Works and General Administration; or (C) All India Service officers holding the post in the Pay band-4 with pay scale of Rs. 37,400-67,000 plus grade pay of Rs. 10,000 in Central Government or State Governments with one year experience of working in Water Resources Department. Note 1.- The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government or State Governments shall not exceed five years. Note 2.- The maximum age limit for appointment by deputation or short term contract appointment shall not be exceeding fifty eight years as on the closing date of receipt of applications. Contract Appointment: Officers retired as Chief Engineer or held analogous post in the Pay band-4 with pay scale of Rs. 37,400 – 67,000 plus grade pay-Rs.10,000 with at least one year of regular service in that grade and possessing the educational qualifications and experience prescribed for deputation (including short term contract) or retired All India Service officers who were holding the post in the Pay band-4 with pay scale of Rs. 37,400 – 67,000 plus grade pay of Rs. 10,000 in Central Government or State Governments with one year experience of working in Water Resources Department. Note.- Maximum period of contract shall not exceed two years or till the retired officer attains the age of sixty two years, whichever is earlier.	Commission(Water Resources) – Chairman. 2.Secretary, Department of Personnel and Training – Member. 3.Secretary, Ministry of Water Resources – Member.	the Union Public Service Commission not necessary.
--	--	---	--	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. Financial Adviser	.1* (2013) *Subject to variation on workload	Group 'A', – Non-Ministerial	Pay band-4 – Rs. 37,400 – 67,000 with grade pay of Rs. 10000	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Not applicable	By deputation (including short	Deputation (including short term contract) : (A)(i) Officers in the Indian Audit and	1. Member, Planning	Consultation with the Union Public

		term contract) failing which by contract appointment of retired officers.	Accounts Service, Indian Defence Accounts Service, Indian Railway Accounts Service, Indian Post and Telegraphs (Finance and Accounts Service) and Indian Civil Accounts Service holding the post pay band-4 with grade pay Rs. 87,00 with three years regular service in the grade; or (ii) Qualified Chartered Accountant/Cost Accountant/M.B.A. with specialization in Finance with experience of at least sixteen years in handling Corporate accounting and Corporate finance matters in Central Government or State Government level Public Sector Undertakings or Statutory or Autonomous organizations under Central Government or State Governments; or (B) Officers of All India Service in the grade pay of Rs. 87,00 with three years regular service in the grade and having experience of handling financial matters in Central Government or State Government Departments. Note 1:- The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization or Department of the Central Government or State Government shall ordinarily not exceed five years. Note 2:- The maximum age limit for appointment by deputation or short term contract shall not be exceeding fifty eight years as on the closing date of receipt of applications. Contract Appointment: Officers who retired in the scale of pay of pay band -4 with pay scale of Rs.37,400 – 67,000 plus grade pay Rs.10,000 in regular service and possessing the desirable qualifications as required for deputation including short term contract and having experience of handling financial matters in Central Government or State Government or Public Sector Undertaking or Statutory or Autonomous Body under Central Government or State Governments. Note:- Maximum period of contract shall not exceed two years or till the retired officer attains the age of sixty two years, whichever is earlier.	Commission (Water Resources) – Chairman 2. Secretary, Department of Personnel and Training – Member 3. Secretary, Ministry of Water Resources – Member	Service Commission not necessary
--	--	---	--	---	----------------------------------

[F. No. 2/16/2010-E. III (BBE)]

A. K. KAUSHIK, Under Secy.